प्रेस विज्ञप्ति

दिनांक–16.06.2022

1. प्रथम चरण में 144 नगर निकायों की मतदाता सूची के प्रारूप प्रकाशन पर प्राप्त आपत्तियों के निष्पादन की तिथि विस्तारित –

- ❖ नगरपालिका आम निर्वाचन, 2022 के अवसर पर प्रथम चरण में 144 नगर निकायों की सूची का प्रारूप प्रकाशन दिनांक 28.05.2022 को जिलों के संबंधित नगर निकायों में किया गया।
- ❖ प्रारूप प्रकाशन के उपरांत दिनांक 28.05.2022 से 10.06.2022 तक संबंधित नगर निकायों के प्रारूप मतदाता सूची पर दावा/आपत्ति प्राप्त की गई।
- ❖ दावा/आपत्ति प्राप्ति हेतु निर्धारित तिथि तक कुल 53,166 दावा/आपत्ति ऑफलाईन/ऑनलाईन माध्यमों से संबंधित नगर निकाय के निबंधन पदाधिकारियों को प्राप्त हुई।
- ❖ प्राप्त कुल 53,166 दावा/आपत्तियों में 40,034 दावा मतदाता सूची में नाम सम्मिलित करने तथा 517 आपत्तियाँ मतदाता सूची की विशिष्टियों में संशोधन से संबंधित एवं 12,615 आपत्तियाँ मतदाता सूची की विशिष्टियों के विलोपन से संबंधित है।
- ❖ प्राप्त कुल 53,166 दावा/आपत्तियों में से सर्वाधिक 14,051 दावा/आपत्तियाँ पटना जिले से संबंधित है, जिसमें 12,719 दावा मतदाता सूची में नाम सम्मिलित करने से संबंधित तथा 54 आपत्तियाँ मतदाता सूची की विशिष्टियों में संशोधन से संबंधित एवं 1278 आपत्तियाँ मतदाता सूची की विशिष्टियों के विलोपन से संबंधित है।
- ❖ अत्यधिक संख्या में दावा/आपत्तियों की प्राप्ती एवं उसके गुणवत्तापूर्ण निष्पादन को ध्यान में रखते हुए आयोग द्वारा प्रथम चरण के 144 नगर निकायों में मतदाता सूची के प्रारूप पर प्राप्त दावा/आपत्तियों के निष्पादन की तिथि निम्नरूपेण विस्तारित की गई है–

क्र0	विषय	पूर्व की तिथि	विस्तारित तिथि
01	दावा/आपत्ति का निष्पादन	04.06.2022 से 16.06.2022 तक	04.06.2022 से 26.06.2022 तक
02	मतदाता सूची का पीडीएफ तैयार करना	17.06.2022 से 22.06.2022 तक	27.06.2022 से 03.07.2022 तक
03	मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन	23.06.2022	04.07.2022

2. तृतीय चरण में 13 नगर निकायों के प्रादेशिक निर्वाचक क्षेत्रों (वार्ड) का गठन–

- ❖ राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा तृतीय चरण में 10 जिलों (पटना, लखीसराय, जमुई, नालंदा, नवादा, शिवहर, मुजफ्फरपुर, बक्सर, दरभंगा एवं किशनगंज) के 13 नगर निकायों {8 नगर परिषद (मनेर, बड़हीया, झाझा, राजगीर, हिसुआ, शिवहर, मोतिपुर, डुमरावँ), 5 नगर पंचायत (घनश्यामपुर, कमतौल, बिरौल, जाले एवं पौआखाली)} के वार्ड परिसीमन का प्रारूप प्रकाशन दिनांक 11.06.2022 को किया गया है एवं आपत्ति हेतु दिनांक 11.06.2022 से 24.06.2022 तक की तिथि निर्धारित है।

❖ दिनांक 16.06.2022 तक 13 नगर निकायो के वार्डो के प्रारूप प्रकाशन पर कुल 4 आपत्तियाँ प्राप्त हुई है जो दरभंगा जिले से संबंधित है।

❖ तृतीय चरण में 13 नगर निकायों के वार्डो के प्रारूप प्रकाशन एवं आपत्ति दर्ज करने से संबंधित विवरण निम्नवत् है–

क. वार्ड गठन का प्रारूप प्रकाशन –

नगर निकाय के वार्डो का गठन कर प्रपत्र 6 में प्रारूप प्रकाशन निम्नलिखित स्थानों पर किया गया है।

(i) जिला दण्डाधिकारी के कार्यालय का सूचना पट।

(ii) संबंधित नगर निकाय का सूचना पट।

इसके अतिरिक्त प्रारूप प्रकाशन की सूचना नगर निकाय क्षेत्र में ध्वनि विस्तारक यंत्रों के माध्यम से भी दी गई है।

ख. आपत्ति –

(i) प्रारूप प्रकाशन वार्डो के बारे में प्रारूप प्रकाशन की तिथि के बाद जिला दण्डाधिकारी के समक्ष या जिला दण्डाधिकारी को सूचित करते हुए उनके द्वारा प्राधिकृत किसी पदाधिकारी के समक्ष आपत्तियाँ दर्ज की जा सकेगी।

(ii) आपत्तियाँ प्रारूप प्रकाशित वार्डो के सिर्फ परिसीमन, जनसंख्या तथा वार्डो के संख्यांकन से संबंधित बिन्दुओं पर ही दी जा सकेगी।

(iii) जिला दण्डाधिकारी या उनके द्वारा प्राधिकृत पदाधिकारियों द्वारा प्राप्त आपत्तियों पर सम्यक जाँचोपरांत आवश्यक आदेश पारित किया जायेगा।

ग. वार्डो की सूची पर प्रमण्डलीय आयुक्त का अनुमोदन

❖ प्रारूप प्रकाशन के दौरान आपत्तियों के निष्पादन के दौरान प्रपत्र–6 में वार्डो की तैयार सूची पर प्रमण्डलीय आयुक्त का दिनांक 30.06.2022 से 04.07.2022 के मध्य अनुमोदन प्राप्त किया जायेगा।

घ. वार्ड गठन की अंतिम सूची का प्रकाशन–

❖ प्रमण्डलीय आयुक्त द्वारा प्रपत्र–6 में तैयार वार्डो की सूची पर अनुमोदन के उपरांत उसे जिला गजट में नगर निकाय के मानचित्र सहित दिनांक 06.07.2022 को प्रकाशित किया जाएगा तथा उसकी प्रति मानचित्र सहित संबंधित नगर निकाय, राज्य निर्वाचन आयोग, राज्य सरकार को प्रेषित की जाएगी।

➢ **विदित हो कि आयोग द्वारा अबतक 153 नगर निकायों के वार्ड गठन का कार्य दिनांक 30.05.2022 तक पूर्ण कर लिया गया तथा 75 यथास्थिति नगर निकायो को सम्मिलित करते हुए कुल 228 नगर निकायों की मतदाता सूची के निर्माण का कार्य सम्पन्न किया जा रहा है।**

16/6/22

सचिव

राज्य निर्वाचन आयोग, बिहार।